*<u>**प्रेस नोट दिनांक- 19.07.2021**</u>*

***इटावा पुलिस द्वारा 04 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

जनपद में महिला/बालिका संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिहं के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस द्वारा 04 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।*

घटना का संक्षिप्त विवरण-*

दिनांक 17.07.2021 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी 04 वर्षीय नाबालिग बच्ची पास में ही बन रहे जहारबीर के मंदिर के पास खेल रही थी । उसी समय शाम 5: 30 बजे सरनाम पुत्र राम सिंह निवासी जबरपुर द्वारा मेरी पुत्री के साथ दुराचार किया गया है । वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना भरथना पर मु0अ0स0 232/2021 धारा 376 एबी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना भरथना से पुलिस टीम गठित की गयी ।आज दिनांक 19.07.2021 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उमरसेडा पुल के पास से अभियुक्त सरनाम पुत्र रामसिहं को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1 .सरनाम सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम जबरपुरा मौजा तुरैया थाना भरथना

<u>**पुलिस टीम-**</u> श्री बचन सिहं सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना ,हे0का0 रामस्नेही शुक्ला, रि0का0 सचिन कुमार ,म0का0 नीशू मलिक

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद इटावा